पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

झांपा

ग्राम पंचायत - वीरपुर

तहसील - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - झांपा गांव करीब 16वीं शताब्दी में बसा था। मुगल काल में बरंडा उपजाति के आदिवासी लोग झांपा आकर बस गए। मुगलकाल में गाँव के लोगों ने इसी स्थान पर एक झांपा (दरवाजा) बाँधा था। झांपा से तात्पर्य दरवाजे की तरह एक संरचना से है, जिसके अंदर कोई अवांछित और अनजान व्यक्ति अथवा शत्रु आ नहीं सकता है। आदिवासियों के पूर्वजों ने झांपा इसलिए बाँधा था ताकि वे गाँव को मुगल लुटेरों से बचा सके और गाँव की रक्षा हो। इसके कारण गाँव का नाम झांपा पड़ गया। गाँव में तीन पूज़ा स्थल हैं। एक शिव जी का पुराना मंदिर है, जो बाबरिया महादेव जी के नाम से जाना जाता है। उपले झांपा फले में केशवदास जी महाराज की धूणी है। इस धूणी को केशवदास खराड़ी महाराज ने लगाया था।

गाँव का एक परिचय - झांपा गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। जिसकी ग्राम पंचायत वीरपुर और तहसील बिछीवाड़ा है। गाँव के पूर्व में माजम नदी बहती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। गाँव में घरों की संख्या लगभग 300 और आबादी लगभग 1400 है। झांपा गाँव में दो फले हैं- उपला फला जिसे धूणी फला नाम से भी जाना जाता है और निचला झांपा फला जिसे बरंडा फला भी कहते हैं। पेसा कानून के तहत गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख दिनांक 7 सितम्बर, 2017 को हुआ। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है और पेसा कानून में मिले अधिकारों के लिए लोगों में जागरूकता भी है। गाँव के आदिवासियों में कोपसा, मनात, विहात, आमलिया, तबियाड़, दामा, खोखर, कटारा, रोत, भगोरा, अहारी, बरंडा, गरासिया, डामोर, भराड़ा, गमेती और खराड़ी आदि उपजातियाँ हैं। झांपा का पोस्ट ऑफिस, सरकारी राशन की दुकान तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र वीरपुर गाँव में है। गाँव का निकटतम बाजार चार किलोमीटर दूर मेवाड़ा है। प्राय: गाँव से मेवाड़ा तक लोग पैदल ही आते-जाते है। झांपा गाँव की अधिकांश जमीन पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ियों की ढलान वाली है, जिसमें लोग मुख्यतः मक्का, उड़द, तुअर, सौंफ, अरहर और चना की फसल उगाते हैं। गाँव के कुछ लोगों के पास सिंचाई के साधन है। वह अपनी सिंचित जमीन पर गेहूं, धान और कपास आदि का उत्पादन भी करते हैं। गाँव के जिन लोगों के पास सिंचाई की सुविधा है, उनके यहां लगभग 6 महीने का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 3 से 4 महीने का खाने भर का ही अनाज पैदा कर पाते हैं। वर्ष के शेष समय भोजन के लिए उन्हें बाजार से राशन खरीदना पड़ता है। जिसके लिए अपनी आजीविका मजदूरी से चलाना पड़ती है। कृषि भूमि पर खेती करने के लिए गाँव के लोगों को किस प्रकार कठिनाई आती है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि गाँव सभा की बैठक में गाँव विकास नियोजन का प्रस्ताव लिखते समय 174 लोगों ने केटेगरी 4 के कार्यों को करवाने के लिए अपने-अपने नाम लिखवाए हैं। गाँव में कृषि तथा मनरेगा में मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन नहीं है। मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना मुश्किल होने के कारण लोग गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में काम की तलाश में चले जाते हैं। कभी-कभी घर में यह स्थिति होती है कि घर के सभी सदस्य मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं और घर में बड़ा भाई या बहन होता है। जो बाकी छोटे भाइयों, बहनों और अन्य छोटे बच्चों की देखभाल करता है। देश आजाद होने के 70 साल बाद भी गाँव में यह स्थिति है कि श्मशान घाट पर टिन-शेड, चबूतरा और लकड़ी रखने की सुविधा की कमी से लोग स-सम्मान शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी बारिश के मौसम में आधे दाह कर्म के

बाद बारिश होने लगती है, तो जैसे-तैसे तिरपाल आदि लगाकर दाह संस्कार करना पड़ता है। गाँव की निकटतम पुलिस चौकी मेवाड़ा (4 कि.मी.) दूर है। थाना राम सागड़ा में है, जो गाँव से करीब 20 किलोमीटर दूर है। गाँव में दो विद्यालय हैं, जिनमें से एक प्राथमिक और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है। आठवीं से आगे पढ़ने के लिए छात्रों को मेवाड़ा जाना पड़ता है। गाँव में विद्यालय भवन की हालत ठीक नहीं है। साथ ही स्कूल में शुद्ध पीने पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय जाने का रास्ता भी खराब है। पानी के अभाव में शौचालय भी अनुपयोगी पड़े हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होने से बच्चे पढ़ने में मन ही नहीं लगा पाते हैं। जिसके चलते बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ बाल श्रम में लग जाते हैं। गाँव में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव का निकटतम सरकारी अस्पताल मेवाड़ा में है। गाँव में जंगल नहीं होने से गाँववासियों को लघु वन उपज से होने वाली आय नहीं मिल पाती है।

आवागमन की स्थिति - झांपा गाँव जाने के लिए डूंगरपुर से हिम्मतपुर की ओर जाने वाली बस और जीप मिलती है। हिम्मतपुर से पहले मेवाड़ा बस स्टैंड उतर कर वहाँ से पैदल वीरपुर होते हुए झांपा गाँव तक जाते हैं, जो मेवाड़ा बस स्टैंड से चार किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। मेवाड़ा से झांपा गाँव की ओर जाने के लिए वीरपुर तक एक पक्की सड़क है, जो गाँव से होते हुए शरम पंचायत के विभिन्न गाँवों तक जाती है। इस सड़क पर आवागमन के साधन भी चलते हैं, जो वाहन सवारी से पूरा भरने के बाद ही चलते हैं। इसलिए लोग अक्सर पैदल ही गाँव जाते हैं। जहाँ अधिकतर सवारी वाहन रुकते हैं, गाँव के लोग उस स्थान को वीरपुर बस स्टैंड कहते हैं। हालाँकि वहाँ कोई प्रतीक्षालय या छाया की व्यवस्था नहीं है। वीरपुर से आगे एक से तीन किलोमीटर और पैदल चल कर अपने घर पहुँचते हैं। वीरपुर से मेवाड़ा और आगे के लिए बस और टेम्पो आदि भी मिलते है। कभी-कभी वीरपुर बस स्टैंड पर कोई वाहन नहीं मिलता है, तो मेवाड़ा तक पैदल ही आना पड़ता है। सामान्यत: मेवाड़ा जाने के लिए लोग कच्चे रास्तों और पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं। गाँव के फलों तक जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं, जो मरम्मत के अभाव में टूट-फूट गए हैं। रास्ते के संकट के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचाने में होती है। बीमारों को चारपाई या झोली में डाल कर सड़क तक लाना पड़ता है। गाँव में सी.सी. सड़क भी हैं, जिससे कच्चे रास्ते जुड़े हुए हैं। गाँव की सी.सी. सड़क भी इतनी सकरी हैं कि कई उस पर बड़े चार पहिया वाहन नहीं आ-जा पाते हैं। गाँव की पगडंडियों पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है।

शिक्षा - गाँव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 35 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ दो अध्यापक हैं। गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय भी है, जिसमें लगभग 107 बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या पाँच है। विद्यालय में शुद्ध पीने के पानी जैसी सुविधाओं की कमी, विद्यालय तक जाने का रास्ता खराब होना और विद्यालय में पढ़ाई का माहौल नहीं होने से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ बालश्रम करने लगते हैं। कुछ दलाल बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में बी.टी. कपास की कृषि मजदूरी करवाने गुजरात ले जाते हैं और कुछ दलाल ढाबे, होटल आदि पर बर्तन धोने जैसा काम दिलवाते हैं। कुछ बाल श्रम के दलाल बच्चों को दुकान या फैक्ट्री आदि में भी काम दिलवाते

हैं। कुछ मामलों में लड़कियों का नातरा 13-14 साल की उम्र में कर दिया जाता है और उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। इससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है। यद्यपि विभिन्न जागरूकता अभियानों से गाँव में बाल विवाह अब कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। कम उम्र में संबंध तय करने के बारे में गाँव वासियों का कहना है कि यदि लड़की पढ़ रही है, तो उसका संबंध तो तय कर देते हैं, लेकिन उसे ससुराल तब ही भेजते हैं, जब वह 18 वर्ष की हो जाती है। स्नातक की शिक्षा के लिए 45 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य - झांपा गाँव में दो आंगनवाड़ियाँ है। आंगनवाड़ियों से मिलने वाले पोषाहार में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण गाँव के कुछ बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण की यह समस्या इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। किशोरी बालिका और प्रसूता माताओं में एनीमिया (खून की कमी) होना भी कोई नई बात नहीं है। एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं की ओर न तो गाँव के लोग ध्यान दे रहे हैं, न जिम्मेदार सरकारी अधिकारी। बीमार होने की स्थिति में गाँव में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेवाड़ा में है। गम्भीर मरीजों को गुजरात या डूंगरपुर इलाज के लिए ले जाते हैं। वहाँ अपने साधन या 108 एम्बुलेंस से लेकर जाना पड़ता है। 108 एंबुलेंस को फोन करने पर आ जाती है, जिसमें समय लगता है और घर से मुख्य सड़क तक जहाँ एंबुलेंस खड़ी होती है, वहाँ तक रास्ता नहीं होने से मरीजों को चारपाई पर अथवा झोली बना कर उठाकर ले जाना पड़ता है। खून की कमी के चलते और स्वास्थ्य केंद्र दूर होने से और प्रसव के समय आवागमन के साधन सुगमता से उपलब्ध नहीं होने कई बार समस्या खड़ी हो जाती है, जिसमें प्रसूता माता की जान को खतरा होता है। मातृ मृत्यु के ऐसे कुछ मामले पिछले वर्षों में गाँव में हुए भी हैं।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - खेती की अधिकतर जमीन पहाड़ी की ढलानवाली, पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और असमतल है। कुछ ही जमीन समतल और सिंचित है, जिस पर गेहूँ, धान और कपास आदि पैदा की जाती है। बाकी जमीन असिंचित है और उसमें केवल बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर पैदा होती है। गाँव की सीमा से सटी हुई माजम नदी बहती है। नदी के अतिरिक्त गाँव में कुँए, हैंडपंप, तालाब और नाले हैं। नालों पर कुल दो एनिकट बने हुए हैं। पानी के इतने स्रोत होने के बाद भी गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। तालाब गर्मी आने से पहले ही सूख जाते हैं। नाले और नदी में केवल बरसात में ही पानी रहता है। बोरवेल से पानी के अधिक दोहन के कारण और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं होने से गर्मी का मौसम आते-आते अधिकतर कुएं सूख जाते हैं और हैंडपंप में जलस्तर नीचे चले जाने से पानी नहीं निकलता है। गाँव के अधिकाँश बोरवेल और हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, जिससे हड्डियों का लाइलाज रोग (फ्लोरोसिस) हो जाता है। गाँव के लोगों के खेतों में गर्मी में कोई खेती नहीं होती है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - झांपा गाँव के लोग खेती में धान, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, अरहर, तिल और कपास पैदा आदि करते हैं। गाँव की ज्यादातर जमीन असमतल, पथरीली और असिंचित है। कुछ ही जमीन सिंचित है। जो जमीन सिंचित है, उस पर धान, गेहूँ और कपास आदि पैदा होता है। सिंचाई की

व्यवस्था के लिए लोगों ने निजी बोरवेल लगा रखे हैं। जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है, उन्ही के पास छः से आठ महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है। जिन लोगों की खेती बरसात पर निर्भर है, उनको दो से चार महीने ही खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूँ मिलता है, जो परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। गाँव में आजीविका के साधनों की कमी के कारण लोगों को काम की तलाश में गाँव से बाहर जाना पड़ता है। गाँव में मनरेगा में मिलने वाला काम भी पूरे साल में 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 100 रु से कम ही मिलती है। मनरेगा से परिवार की परवरिश कर पाना सम्भव नहीं है। जो लोग गाँव में रहते हैं, वही लोग मनरेगा में काम करते हैं। मनरेगा में लगभग 70% महिलाएं काम करती है। गाँव के 29 लोग विभिन्न सरकारी विभागों में काम करते हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - झांपा गाँव के लोग गाय, भैंस, बैल और बकरियाँ पालते हैं। खेती में उत्पादन नहीं होने के साथ ही चारे की कमी रहती है। पशुओं हेतु चारा साल के मात्र छः से सात महीने ही उपलब्ध रहता है। साल के शेष दिनों में जानवरों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। गाँव की खाली पड़ी जमीन पर केवल बरसात में ही चारा मिलता है। चारे की कमी के कारण पशुओं की स्थिति गर्मियों में दयनीय हो जाती है और पशु कमजोर हो जाते हैं। दुधारू पशु दूध भी देना बंद कर देते है। कुछ लोग भेड़ और कुछ मुर्गियां भी पालते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी ही आजीविका के साधन हैं। खेती की जमीन सभी के पास न तो पर्याप्त है, और न ही उपजाऊ है। किसी तरह से कुछ महीने खाने भर का अनाज ही लोग पैदा कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जमीन असिंचित है। अधिकांश खेतों में मात्र बरसात में पैदा होने वाली फसल का ही उत्पादन होता है। कृषि के अलावा मनरेगा में काम भी वर्ष भर में मात्र 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 100 रु से कम मिलती है। गाँव में आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं होने से लोगों को गाँव से बाहर आजीविका की तलाश में जाना पड़ता है। इसलिए गाँव के कुछ लोग गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में काम के लिए जाते है। वहाँ दैनिक मजदूरी पर काम करते है और किसी तरह से परिवार की परवरिश करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जमीन	गाँव की कुछ जमीन पर ही खेती होती है। बाकी जमीन खाली पड़ी है। कृषि की यह जमीन ज्यादातर एक फसली है। इसमें बरसात में बोई जाने वाली फसल ही होती है। कृषि की समतल जमीन ही सिंचित है, वह भी जिनके पास निजी ट्यूबवेल है। गाँव की खाली पड़ी भूमि, जिस पर बरसात के समय घास उगती है और उसे गाँव के लोग अक्टूबर में काटकर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। झांपा गाँव में जंगल नहीं होने से गाँववासियों को लघु वन उपज से होने वाली आय नहीं मिल पाती है।	गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है। खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है, उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव तक नदी और नाले में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई के साथ ही साथ मछली पालन भी किया जा सकता है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है।
जल नदी नाले हैंडपंप बोरवेल कुँए	गाँव के पास में माजम नदी बहती है, परंतु उसके पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। गाँव में नाले हैं, लेकिन नालों का पानी भी बरसात के बाद सूख जाता है। गाँव में कुछ कुँए हैं, जो सूख चुके हैं और कुछ कुओं में पानी है। गाँव में हैंडपंप भी है, लेकिन करीब-करीब आधे में पानी है और आधे सूख चुके है। गाँव के बोरवेल में भी पानी का स्तर कम हो गया है।	वर्षा जल संरक्षण करना। नदी पर एनिकट बनाकर पानी रोक कर काम में ले सकते हैं। सामूहिक कुएं बनवा सकते हैं। गाँव के नालों पर एनीकट बनवाकर सिंचाई की जा सकती है। खेत तलावड़ी बनवाना, कच्चे-पक्के चेक डैम बना सकते हैं। कुओं की मरम्मत कर कम गहरे कुओं को अधिक गहरा करवाना। नए हैंडपंप लगाने। नदी और नालों का पानी रोक रोक कर सिंचाई की जा सकती है।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित एवं समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा की समस्या**	सार्वजनिक	गाँव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें लगभग 35 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 अध्यापक हैं। गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय भी है, जिसमें लगभग 107 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापकों की संख्या 5 है। अध्यापकों कमी के कारण बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है। विद्यालय भवन, कमरों की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता है। बच्चों के बैठने के लिए कमरे भी कम हैं। स्कूल में शौचालय की मरम्मत की जरूरत है। पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। विद्यालय जाने का रास्ता भी खराब है।	गाँव सभा का मजबूत होना। सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ एकजुटता। पंचायत की सभी गाँव सभा मिलकर शिक्षा विभाग में शिक्षा की समस्या समाधान के लिए ज्ञापन देना। शिक्षा के लिए गाँववासियों को जागरूक करना।	**तात्कालिक**
2	**कृषि की समस्या**	सार्वजनिक	गाँव में धान, गेहूं, चना, मक्का, उड़द, अरहर और कपास पैदा किया जाता है, लेकिन जमीन असमतल, पथरीली और असिंचित होने के कारण उत्पादन बहुत ही कम होता है। साल भर में 4 से 6 महीने खाने भर का	असमतल खेतों का समतलीकरण, तालाब और एनीकट की मरम्मत और गहरीकरण तथा एनीकट की ऊँचाई बढ़ाना। नदी पर बाँध बनाकर पानी को रोकना और सिंचाई के लिए लिफ्ट केनाल का निर्माण करना।	**तात्कालिक**

			अनाज पैदा होता है। लोगों के पास उन्नत खाद और बीज का अभाव होता है। सिंचाई की कोई व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने निजी बोरवेल लगा रखे हैं। बाकी लोगों की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि बोरवेल लगा सकें। इसलिए उनकी खेती बरसात के भरोसे ही है। बरसात अच्छी हुई तो ठीक अन्यथा खेती से कुछ नहीं उगता है। गाँव में नाले, तालाब और नदी होते हुए भी जल संरक्षण योजना नहीं होने से बरसात का पानी बहकर निकल जाता है।	जैविक खाद और उन्नत बीज की उपलब्धता। खेतों की मेड़बंदी। खेत तलावड़ी का निर्माण। वर्षा जल संरक्षण करके जल स्रोतों को रिचार्ज करना।	
3	**भूमि अधिकार पत्र नहीं मिलना**	**व्यक्तिगत/ सार्वजनिक**	गाँव के कुछ लोगों को भूमि अधिकार पत्र मिल गए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को भूमि अधिकार पत्र नहीं मिले हैं। यह मात्र इस गाँव की नहीं बल्कि पूरे डूंगरपुर जिले की एक बड़ी समस्या है। जिस भूमि पर गाँववासी पीढ़ियों से काबिज हैं, और मेहनत करके उन्होंने उस ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया, उस पर कुआं खोदा और पेड़	पेसा कानून के अंतर्गत गाँव के लोगों ने गाँव सभा का गठन कर उसकी सूचना प्रशासन को दी है। गाँव सभा में अपनी काबिज भूमि पर मालिकाना हक लेने का प्रस्ताव लेकर पारित किया और उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि पंचायत में जमा कर उसकी रसीद प्राप्त की और उसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा जिला	**दीर्घकालिक**

			लगाए लेकिन उसका खातेदारी हक उनको नहीं मिल सका है। वन विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन उन्हें भू अधिकार पत्र देने की मंशा नहीं रख रहा है, जिसके चलते राजस्व विभाग ने गाँव वासियों से पट्टे की पेनाल्टी लेना लगभग बंद कर दिया है। इस कारण उनकी जमीन छिन जाने की संभावना बढ़ गई है।	अधिकारी को भी भेज दिया है। गाँव सभा ने गाँव के कब्जा धारी लोगों की जमीन का प्रकरण तैयार करके सामूहिक रूप से राजस्व विभाग में दावा करने का प्रस्ताव भी लिया है और गाँव के 4-5 जिम्मेदार लोगों को इस कार्यवाही को अग्रेषित करने के लिए भी कहा है।	
4	**पेयजल की समस्या**	सार्वजनिक	गाँव में जल संसाधन जैसे नदी, कुँए, तालाब, नाले और हैंडपंप तथा निजी बोरवेल हैं। गाँव के करीब 12 हैंडपंप खराब हैं। पर्याप्त जलस्रोत होने के बावजूद गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ जाता है। लोगों को आस-पास से सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। जल दोहन के लिए पूरा बिछीवाड़ा ब्लॉक डार्क जोन घोषित हो गया है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी योजना पंचायत द्वारा लागू नहीं की जा रही है और न ही जल संरक्षण विभाग द्वारा पानी की	बरसात के पानी को योजना बनाकर रोकना, जिससे गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके। बरसात के पानी को संरक्षित करके पीने लायक बनाना। आर.ओ. प्लांट लगाने के लिए आवेदन करना और उसके लिए पंचायत स्तर पर प्रयास करना। यह सब करने के लिए गाँव सभा के सदस्यों को सक्रिय और सशक्त बनाना।	**तात्कालिक**

			कमी को दूर करने का कोई उपाय किया जा रहा है। इसीके साथ-साथ शुद्ध पेयजल भी लोगों को नहीं मिलता है। गाँव के पानी में फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है, जिसके कारण लोग दांत, पेट और हड्डियों के रोगों के शिकार हो रहे हैं।		
5	**आवास, शौचालय निर्माण और उसके भुगतान तथा पेंशन के भुगतान की समस्या**	**व्यक्तिगत/ सार्वजनिक**	गाँव में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें आवास की बहुत जरूरत है, लेकिन सरपंच से जिन लोगों का संबंध है, उन्हें आवास आवंटन पहले होता है। आवास आवंटन हो भी जाता है तो उसके निर्माण के उपरांत भुगतान में विलंब होता है। शौचालय के निर्माणके बाद भुगतान भी विलम्ब से होता है। कुछ लोगों की पेंशन बीच में ही रुक गई है और कुछ की शुरू ही नहीं हुई है।	सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों को प्राथमिकता से आवास और शौचालय आवंटित करना। आवास और शौचालय निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखना। आवास और शौचालय निर्माण के उपरांत भुगतान समयानुसार करवाना। गाँव सभा को सक्रिय और सशक्त बनाना। पंचायत और लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाना। पेंशन का समय पर भुगतान करवाना।	**तात्कालिक**

संसाधन आकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्ची सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर मनरेगा	जमीन का अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ होना। पगडंडी को चौड़ा न करना। एकम घर से दूसरे घर तक जाने के लिए किसी प्रकार का रास्ता न होना। समय पर सड़क की मरम्मत न होना। पंचायत का सड़क निर्माण और मरम्मत के प्रति उदासीन होना।	मनरेगा के तहत कच्चे रास्तों का निर्माण और टूटी सड़कों की मरम्मत की जा सकती है। सड़क और रास्ता निर्माण से आवागमन में आसानी होगी। बच्चे समय से विद्यालय और बीमार समय से अस्पताल पहुँच सकेंगे। आवागमन के सरकारी साधन की माँग की जा सकती है। छोटे-मोटे उद्योग किये जा सकते हैं।	पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। निगरानी समिति विकास कार्यों पर नजर रखे। गाँव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
जल नदी नाले कुआं हैंडपंप बोरवेल	बोरवेल के अधिक उपयोग से भू-जल स्तर का दिन-प्रतिदिन नीचे जाना। बारिश के पानी को रोकने की व्यवस्था न होना। पानी रोकने के लिए कच्चे चेक डैम की व्यवस्था नहीं। पंचायत का जल संग्रहण के प्रति उदासीन होना।	मनरेगा के तहत एनिकट मरम्मत और कुओं का गहरीकरण किया जा सकता है। जगह-जगह चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। हैंडपंप, कुओं का पानी रीचार्ज किया जा सकता है। तालाब निर्माण की योजना बनाई जा सकती है। बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना बनाई जा सकती है।	पंचायत का ध्यान जल संग्रहण के प्रति आकर्षित करना। मनरेगा के तहत बारिश के पानी को संग्रहित करने के कार्य कराना। लोगों को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। गाँव सभा को मजबूत करना।
आजीविका संवर्धन	कृषि भूमि का अत्यधिक	भूमि समतलीकरण कर	गाँव सभा को मजबूत

कृषि भूमि पशुपालन सब्जी की खेती चारागाह मनरेगा मजदूरी	ऊबड़-खाबड़ और पथरीला होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। चारागाह जमीन पर अवैध कब्ज़ा। मनरेगा के प्रति लोगों की उदासीनता। मनरेगा में मानदेय के अनुसार व समय पर मजदूरी न मिलना। मनरेगा के तहत प्राप्त मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण मुश्किल होना। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होना।	उसे प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाना। चारागाह जमीन का विकास। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी या मुर्गी, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। रोजगार के अन्य साधनों के उप्योह की योजना बनाना। सब्जी की खेती की जा सकती है। एनिकट व तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। मनरेगा की सामूहिक कार्य योजना बनाई जा सकती है।	करना। पंचायत व मेट द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। चारागाह से अवैध कब्ज़ा हटाना। मनरेगा को कानूनी रूप में लागू कराना।
भूमि बिलानाम भूमि खाली भूमि	बिलानाम भूमि पर काबिज लोगों को जमीन के पट्टे दिलाना। खाली पड़ी जमीन के विकास की कोई योजना न होना।	जमीन के पट्टे मिल सकते हैं। मनरेगा के तहत खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। खाली जमीन के अन्य उपयोग की योजना बनाई जा सकती है।	बिलानाम के मुद्दे पर सामूहिक माँग व लोगों का लम्बे समय तक जुड़े रहना। गाँव सभा को मजबूत व जागरूक करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

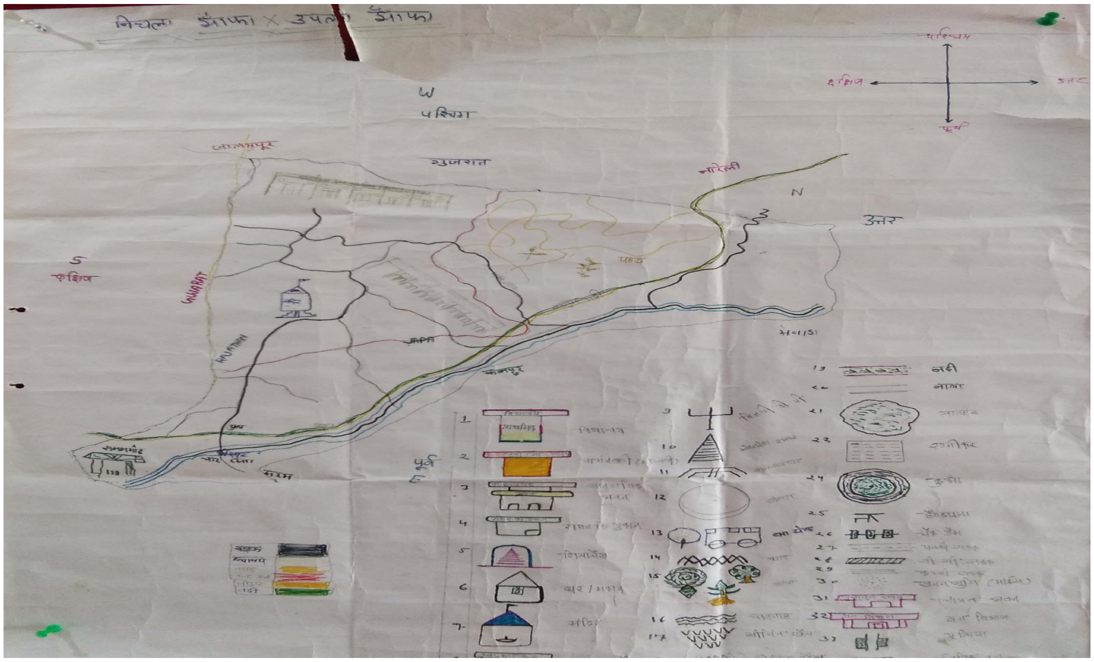

नजरिया नक्शा झांपा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	आवास निर्माण का प्रस्ताव(PM आवास)	21
2	पेंशन के संबंध में	
	विधवा पेंशन	1
	विकलांग पेंशन	5
	पालनहार योजना 0-5 वर्ष	1
3	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण खेत तलावडी निर्माण गहरीकरण मरम्मत और मेड बंदी के संबंध में	172
4	विद्यालय भवन कमरों की छत मरम्मत -2 कमरे अध्यापक की नियुक्ति - 4 शौचालय मरम्मत मय पानी की व्यवस्था विद्यालय जाने का रास्ता निर्माण करना	1

5	आगनवाड़ी भवन निर्माण	3
6	उपस्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के सम्बन्ध में	1
7	राशन की दूकान	1
8	सामुदायिक भवन	1
9	सड़क निर्माण	
	सी.सी. सड़क निर्माण के संबंध में -	2
	डामर सड़क निर्माण के संबंध में -	1
	कच्चा (ग्रेवल)रास्ता -	2
10	हैंडपंप नया लगाने के संबंध में	10
	हैंडपंप मरम्मत के संबंध में	12
11	चेक डैम निर्माण के संबंध में(कच्चे/ पक्के)	37
12	श्मशान घाट निर्माण (माजम नदी के किनारे) परकोटे का निर्माण टीन शेड छाया की व्यवस्था पानी की व्यवस्था	1
13	सामुदायिक वन दावा गांव सभा द्वारा कराने के संबंध में	1
14	गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के संबंध में	1
15	शौचालय का बकाया भुगतान	17
16	नए शौचालय निर्माण के संबंध में	15
17	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में - डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

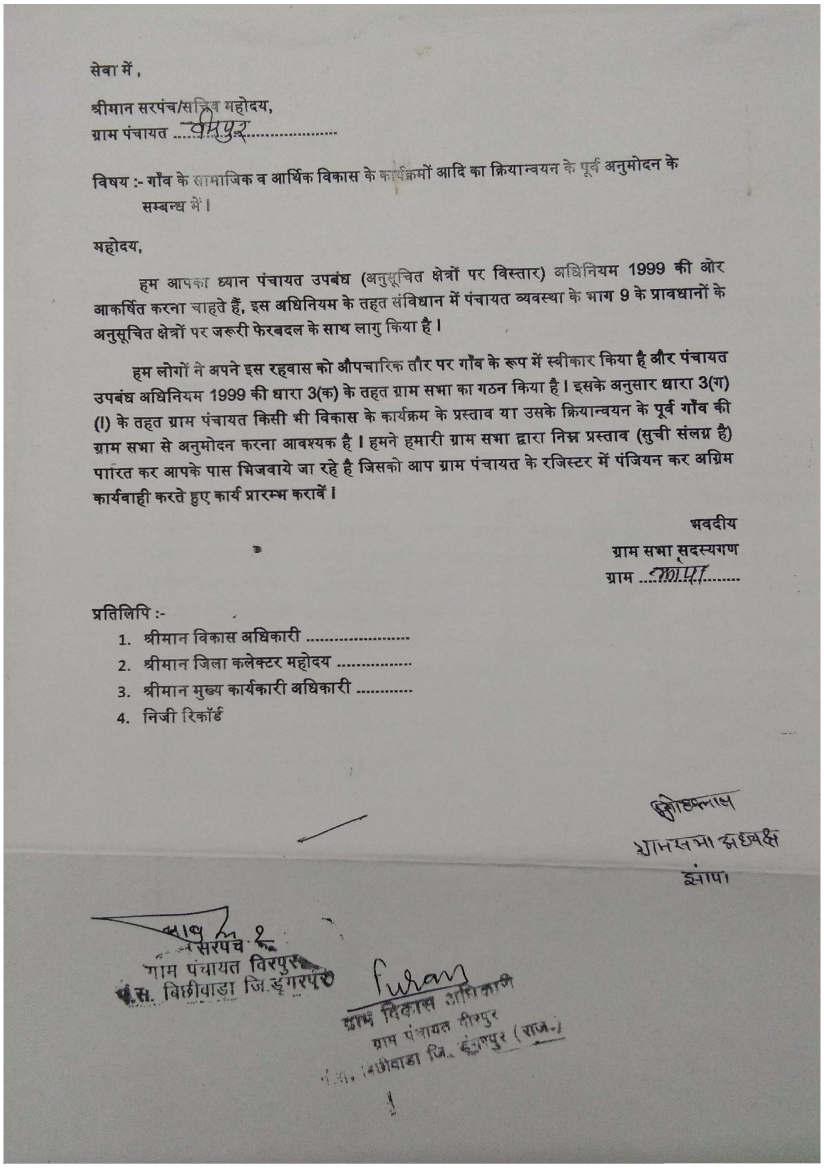

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......वीरपुर......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ...कापा...

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

ग्रामसभा अध्यक्ष
कापा

सरपंच
ग्राम पंचायत विरपुर
पं.स. बिछीवाड़ा जि. डूंगरपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत वीरपुर
पं.स. बिछीवाड़ा जि. डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

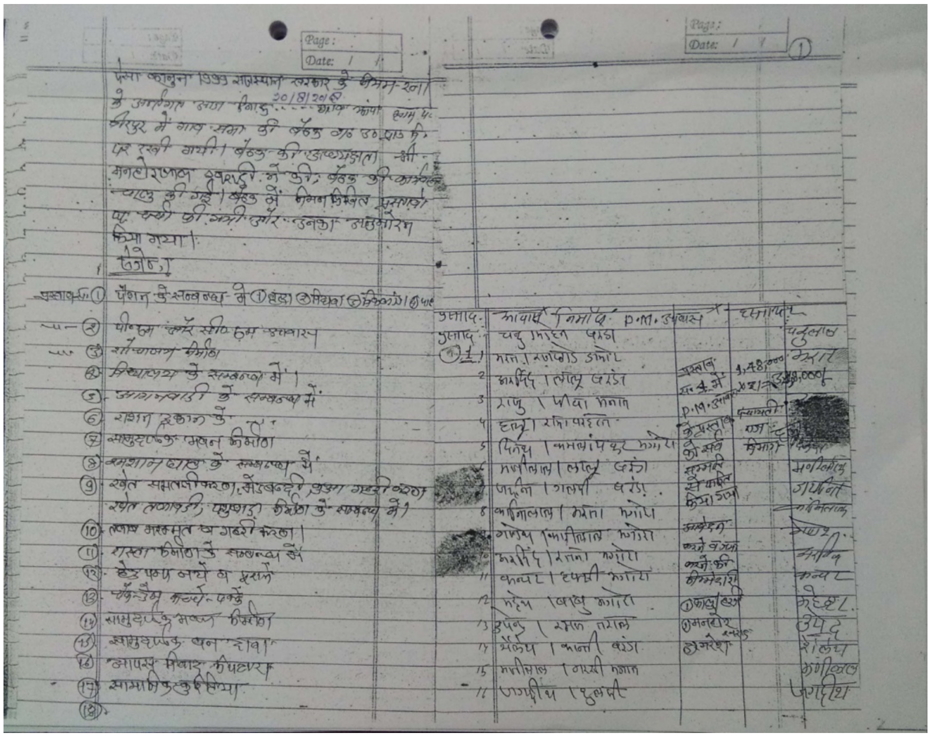
पेसा कानुन विरुद्ध राजस्थान सरकार के नियम-रना के अंतर्गत आज दिनांक 20/8/2018 ... ग्राम पं. ...पुर में ग्राम सभा की बैठक रा० उ० प्रा० वि० पर रखी गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री मनोहरलाल खराड़ी ने की, बैठक की कार्यवाही चालु की गई। बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव (1) पेंशन के सम्बन्ध में (1) वृद्धा (2) विधवा (3) विकलांग (4) ...
(2) पीएम आवास
(3) शौचालय निर्माण
(4) विद्यालय के सम्बन्ध में।
(5) आंगनवाडी के सम्बन्ध में
(6) राशन दुकान के
(7) सामुदायिक भवन निर्माण
(8) श्मशान घाट के सम्बन्ध में
(9) खेत समतलीकरण, मेडबन्दी, कुआ गहरी करण, खेत तलावडी, पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में
(10) तालाब मरम्मत व गहरी करण।
(11) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
(12) हेडपम्प नये व पुराने
(13) ... पक्के
(14) सामुदायिक भवन निर्माण
(15) सामुदायिक वन दावा
(16) आपसी विवाद निपटारा
(17) सामाजिक कुरीतिया
(18)

प्रस्ताव प्रथम पेज

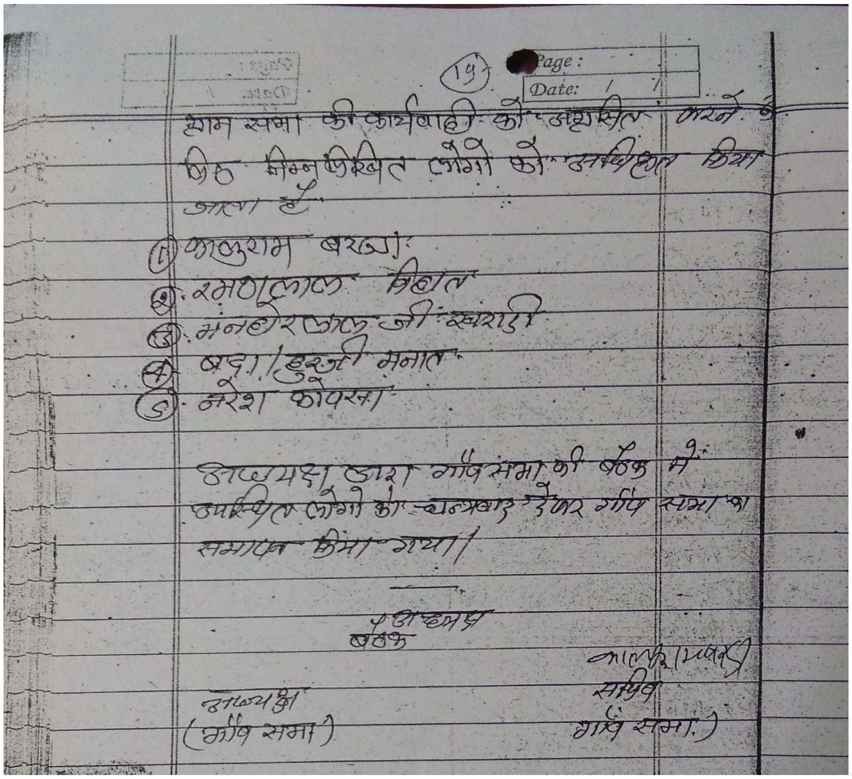
(14)

Page :

Date: / /

ग्राम सभा की कार्यवाही को अग्रसित करने के लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया जाता है

(1) कालुराम बरण्डा
(2) रमणलाल खिहत
(3) मनहोरलाल जी खराडी
(4) बदा/हुरजी मनात
(5) नरेश कोपरा

अध्यक्ष द्वारा गाँव सभा की बैठक में उपस्थित लोगो को धन्यवाद देकर गाँव सभा का समापन किया गया।

अध्यक्ष
बैठक

मालूराम (?)
सचिव
ग्राम सभा

अध्यक्ष
(गाँव सभा)

[illegible]
(ग्राम सभा)

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

क्र.	नाम	फोन न.
1.	कालूराम हरजी बरंडा	7568662193
2.	सेगाजी मंगला बरंडा	7568662193
3.	मनोहरलाल लालूजी खराड़ी	9116038193
4.	जीवा नाना डामोर	9116038193